

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा 6 लेन एलिवेटेड रोड के निर्माण हेतु हिण्डन कट कैनाल संरक्षित वन क्षेत्र की जमीन हेतु एलिवेटेड सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में।

**स्तम्भ संख्या 11 के
निरीक्षण के सम्बन्ध में।**

दिनांक 05.11.2015 को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में अंकित संरक्षित वन भूमि का निरीक्षण किया गया। स्थलीय एवं सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी की रिपोर्ट से निम्न स्थिति स्पष्ट होती है।

स्तम्भ संख्या 7वीं से 12 तक— प्रश्नगत क्षेत्र में वनस्पतियों में/वन्य जन्तु लुप्त पर्याय प्रजातियों का उल्लेख नहीं पाया गया। साथ पुरातत्त्विक/रक्षा अधिष्ठान में सम्बन्धित स्मारक क्षेत्र नहीं है।

स्तम्भ संख्या 8:— प्रस्तावित वन भूमि की माँग न्यूनतम है वैकल्पिक क्षेत्रों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी एवं प्रस्तावक विभाग द्वारा भी प्रमाण पत्र दिया गया है तथा वन भूमि की माँग न्यूनतम है।

स्तम्भ सं0-9:— वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है प्रस्ताव को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

उक्त प्रस्ताव में कम से कम संरक्षित वन क्षेत्र का प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित भूमि 0.6448 हेक्0 न्यूनतम है जिसे स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।


प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद।